न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 63 / 2021

प्रकरण दर्ज तिथि :— 25.11.2021

जीसीएमएस नम्बर :— 2021 / 173

वादी

नवीन मेवाडा पुत्र श्री डालचन्द मेवाडा, उम्र—व्यस्क, जाति मेवाडा, निवासी हरिपुर रायपुर तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अमरगिरी पुत्र श्री बाबूगिरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—लवाचा
2. तुलसीराम पुत्र श्री बींजाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—रायपुर
3. जगदीश पुत्र चम्पालाल, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—रायपुर
4. गणपतराम पुत्र श्री चोथा, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—रायपुर
5. बगदाराम पुत्र श्री चोथा, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
6. मंगलाराम पुत्र श्री चोथा, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
7. गोपीलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
8. मनोहरलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
9. ओमप्रकाश पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
10. सुरेशकुमार पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
11. सुकडी देवी पत्नि श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
12. हनुमानगिरी पुत्र श्री बाबूगिरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—लवाचा
13. पुनमभाई पुत्र श्री पुखराज, उम्र—व्यस्क, जाति—प्रजापत, निवासी—लवाचा
14. भिदामी पत्नि श्री बाबूगिरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—लवाचा
15. दुर्गापुरी पुत्र श्री भुरापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
16. चेनपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
17. विनोदपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
18. मुकेशपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
19. नाथीदेवी पत्नि श्री खींयापुरी, उम्र—व्यस्क,जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
20. ढगलपुरी पुत्र श्री नेनापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
21. लाडु पत्नि श्री नेनापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
22. राजुपुरी पुत्र श्री किशनपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
23. महेन्द्रपुरी पुत्र किशनपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
24. बेबी पुत्री श्री किशनपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
25. रेखादेवी पुत्र श्री किशनपुरी, उम्र—व्यस्क जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
26. ओगडपुरी पुत्र भुरापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
27. सीतादेवी पत्नि श्री राजुपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
28. कमलादेवी पत्नि किशनपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
29. सम्पतपुरी पुत्र श्री नेनापुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—भेरूसागर रायपुर
30. तुलछागिरी पुत्र श्री मोहनपुरी, उम्र—व्यस्क, जाति—गोस्वामी, निवासी—लवाचा
31. लाबचन्द पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र—व्यस्क, जाति खाती निवासी लवाचा
32. चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र—व्यस्क, जाति खाती निवासी लवाचा
33. अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र—व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
34. लीला पत्नि मूलचन्द्र जाति जाट निवासी रायपुर
35. सुरेन्द्र कुमावत पुत्र सोहनलाल जाति कुमावत निवासी रायपुर
36. दिलीप पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी रायपुर
37. भंवरीदेवी पत्नि श्री लादुराम, उम्र—व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
38. प्रेमदेवी पत्नि श्री प्रभुराम, उम्र—व्यस्क, जाति माली, निवासी रायपुर तहसील रायपुर
39. गोपुलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र—व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
40. माली पुत्र श्री गुणेशपुरी उम्र—व्यस्क, जाति गोस्वामी, निवासी लवाचा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

41. मांगीदेवी पत्नि श्री हीराराम, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
42. मोहनपुरी पुत्र श्री गुणेशपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति गोस्वामी, निवासी लवाचा
43. लाल पुत्र श्री चौथा, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
44. अमराराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी लवाचा
45. अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
46. प्रभुराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
47. विनोद प्रजापति, पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
48. सुगना देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
49. जुगराज पुत्र श्री ढगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
50. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 श्री फिरोज खान अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 34,35,36 एवं 49 उपस्थित) एवं शेष अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 17.10.2024

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 659 के खसरा सं. 2477 रक्बा 7.4948 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 660 के खसरा सं. 2476 रक्बा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गै. मु बेरा, खाता सं. 661 के खसरा सं. 2486 रक्बा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2491 रक्बा 2.9542 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 854 के खसरा सं. 2478 रक्बा 0.3885 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2479 रक्बा 0.6961 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2480 रक्बा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2485 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 865 के खसरा सं. 2487 रक्बा 1.1169 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2488 रक्बा 1.0036 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2489 रक्बा 0.4209 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2490 रक्बा 1.0926 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2492 रक्बा 1.1250 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 866 के खसरा सं. 2483 रक्बा 0.9308 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खसरा नं. 2484 रक्बा 1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खातेदारी, भुमि आई हुई है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति, ई मित्र से निकलवायी नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात वादी तथा प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि है। राजस्व रेकर्ड मे वादी का तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग अलग दर्ज रेकर्ड है। उक्त विवादित भुमि वादी की खरीद शुदा भुमि आई हुई है। विवादित भुमि मे प्रतिवादीगण सं. 1 से 50 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार दर्ज रेकर्ड हैं। विवादित भुमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के समय से एवं खरीद दिंनाक से कब्जा व काश्त करते चले आ रहे हैं जो पुर्वजो के तथा बेचान कर्ता के कार्य काल से आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादी का अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है एवं राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज रेकर्ड है विवादित भुमि का रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 50 के मध्य के मध्य वादपत्र के पद नंबर 1 के में वर्णित आराजी कृषि भूमि मौके पर आपस मे बंटी हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

41. मांगीदेवी पत्नि श्री हीराराम, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
42. मोहनपुरी पुत्र श्री गुणेशपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति गोस्वामी, निवासी लवाचा
43. लाल पुत्र श्री चौथा, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
44. अमरराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी लवाचा
45. अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
46. प्रभुराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
47. विनोद प्रजापति, पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
48. सुगना देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
49. जुगराज पुत्र श्री ढगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
50. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 श्री फिरोज खान अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 34,35,36 एवं 49 उपस्थित) एवं शेष अनुपस्थित

दिनांकः 17.10.2024

निर्णय

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता सं. 659 के खसरा सं. 2477 रक्बा 7.4948 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 660 के खसरा सं. 2476 रक्बा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गै. मु बेरा, खाता सं. 661 के खसरा सं. 2486 रक्बा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2491 रक्बा 2.9542 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 854 के खसरा सं. 2478 रक्बा 0.3885 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2479 रक्बा 0.6961 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2480 रक्बा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2485 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 865 के खसरा सं. 2487 रक्बा 1.1169 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2488 रक्बा 1.0036 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2489 रक्बा 0.4209 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2490 रक्बा 1.0926 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2492 रक्बा 1.1250 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 866 के खसरा सं. 2483 रक्बा 0.9308 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खसरा नं. 2484 रक्बा 1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खातेदारी, भुमि आई हुई है जो वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2073–2076 की प्रमाणित प्रति, ई मित्र से निकलवायी नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात वादी तथा प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि है। राजस्व रेकर्ड मे वादी का तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग अलग दर्ज रेकर्ड है। उक्त विवादित भुमि वादी की खरीद शुदा भुमि आई हुई है। विवादित भुमि मे प्रतिवादीगण सं. 1 से 50 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार दर्ज रेकर्ड हैं। विवादित भुमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने पुर्वजो के समय से एवं खरीद दिंनाक से कब्जा व काश्त करते चले आ रहे हैं जो पुर्वजो के तथा बेचान कर्ता के कार्य काल से आज दिंनाक तक कब्जा काश्त कर रहे है विवादित आराजी पर वादी एंव प्रतिवादी का अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है एवं राजस्व रेकर्ड मे खातेदार दर्ज रेकर्ड है विवादित भुमि का रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा है एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 50 के मध्य के मध्य वादपत्र के पद नंबर 1 के में वर्णित आराजी कृषि भूमि मौके पर आपस मे बंटी हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

रेकर्ड अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे जमाबन्दी अनुसार शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एकं जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण अपनी पालडोल को लेकर एवं अपने हिस्से कि आराजी बोने के लिए रास्ते हेतु आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं एवं कुछ विवादित भुमि बहुत लम्बे समय से विवाद चलने से बोने से भी पडी है। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 50 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वादी ने विवादित भुमि का कुछ हिस्सा खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। परन्तु उक्त विवादित भुमि मे वादी ने 7 बीघा 16 बिस्वा भुमि की खरीद की है तथा वर्तमान मे 7 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रेकर्ड है इसलिए विवादित भुमि 07 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 07 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश प्रदान करावें। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, जिससे विवादित भुमि को ऋण लेने मे, रहवास हेतु मकान बनाने एवं अधिक उपजाउ बनाने पर दुसरे खातेदार द्वारा अतिक्रमण नही करने मे आसानी रहें लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि वादी खरीद दिनांक से अपने हिस्से कि भुमि को खाद डालकर मिट्‌टी डालकर उपजाउ बनाया है। जिसे प्रतिवादीगण से बचाने के लिए वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को बार–बार बॅटवारा करने की बात निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। जिस कारण वाद का कारण उत्पन्न हुआ। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 50 को कई बार बटॅवाडा का निवेदन करने के पश्चात् दिनाक 22/09/2021 को पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बॅटवारा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा–मगर कुछ प्रतिवादीगण की नियत सहीं नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिंनाक 22/09/2021 को साफ मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादी अपनी भुमि को कब्जे काश्त अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेघाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं।वाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसडिंग्स होगी, इसलिए वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे काश्त रेकर्ड के अनुसार तकास्मा कर वादी का हिस्सा राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीम करवाने एवं राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी भुमि को अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये लगान अलग अलग करवाने हेतु बटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है बिनायदावा दिंनाक 12.09.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से भुमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् करने का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रायपुर द्वितिय मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है । प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 50 को वादग्रस्त आराजियात में दर्ज नाम अनुसार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी सं. 51 राज. सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादीगण के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार सरहद मौजा रायपुर द्वितिय पटवार हल्का रायपुर द्वितिय, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की वर्तमान जमाबन्दी सवत् 2073–2076 के खाता सं. 659 खसरा सं. 2477 रक्बा 7.4948 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 660 खसरा सं. 2476 रक्बा 0.0971 हैक्टेयर किस्म गै. मु बेरा, खाता सं. 661 खसरा सं. 2486 रक्बा 0.2104 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2491 रक्बा 2.9542 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 854 खसरा सं. 2478 रक्बा 0.3885 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2479 रक्बा 0.6961 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2480 रक्बा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2485 रक्बा 0.5747 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 865 खसरा सं. 2487 रक्बा 1.1169 किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2488 रक्बा 1.0036 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2489 रक्बा 0.4209 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2490 रक्बा 1.0926 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा सं. 2492 रक्बा 1.1250 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खाता सं. 866 खसरा सं. 2483 रक्बा 0.9308 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल खसरा नं. 2484 रक्बा 1.3840 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है एवं राजस्व रेकर्ड मे वादी तथा प्रतिवादीगण का नाम व हिस्सा दर्ज रेकर्ड है। उक्त विवादित भुमि मे वादी ने 7 बीघा 16 बिस्वा भुमि की खरीद की है तथा वर्तमान मे 7 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रेकर्ड है इसलिए विवादित भुमि 07 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 07 बीघा 16 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश प्रदान करावें। विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अनुसार शामलाती खातेदारी भुमि है जो राजस्व रेकर्ड मे भी शामलाती दर्ज है। विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी व प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे काश्त अनुसार मौके अनुसार बॅटवाडा किया जाकर भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को उक्त भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा जावे व मौके अनुसार तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार छाया की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता श्री फिरोजखन ने प्रार्थी श्री दिलीप पुत्र दूलाराम,श्री सुरेन्द्र पुत्र सोहनलाल, श्रीमती लीलादेवी पत्नि मूलचन्द्र जाट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी मय वकालनामा की ओर से पेश किया। जो पत्रावली शा. मि. किया गया।उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 34,35,36,37 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा श्री दिलीप, श्री सुरेन्द्र एवं श्रीमती लीलादेवी को बेचान कर दिया हैं, इसीलिए इन्हें पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया हैं। प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति नहीं की हैं। प्रार्थना पत्र उभयपक्ष बहस समायत की गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का स्वीकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

किया जाकर श्री दिलीप, श्री सुरेन्द्र एवं श्रीमती लीलादेवी को रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। संशोधित शीर्षक पेश हुआ, जो शा.मि. हों। प्रतिवादीगण संख्या 01से 33 एवं 37 से 48 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ताा श्री फिरोज खान ने प्रतिवादी संख्या 49 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शा.मि हों। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर अपना जबाव नहीं देना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं।

वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये।

आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/1847 दिनांक 15.10.2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं।

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। वादी अधिवक्ता ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इबतदाई
ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,बमुकाम – रायपुर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 63/2021

वादी
नवीन मेवाडा पुत्र श्री डालचन्द मेवाडा, उम्र–व्यस्क, जाति मेवाडा, निवासी हरिपुर रायपुर तहसील रायपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अमरगिरी पुत्र श्री बाबूगिरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–लवाचा
2. तुलसीराम पुत्र श्री बींजाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–रायपुर
3. जगदीश पुत्र चम्पालाल, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–रायपुर
4. गणपतराम पुत्र श्री चोथा, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–रायपुर
5. बगदाराम पुत्र श्री चोथा, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
6. मंगलाराम पुत्र श्री चोथा, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
7. गोपीलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
8. मनोहरलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
9. ओमप्रकाश पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
10. सुरेशकुमार पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
11. सुकडी देवी पत्नि श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
12. हनुमानगिरी पुत्र श्री बाबूगिरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–लवाचा
13. पुनमभाई पुत्र श्री पुखराज, उम्र–व्यस्क, जाति–प्रजापत, निवासी–लवाचा
14. भिदामी पत्नि श्री बाबूगिरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–लवाचा
15. दुर्गापुरी पुत्र श्री भुरापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
16. चेनपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
17. विनोदपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
18. मुकेशपुरी पुत्र श्री खींयापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
19. नाथीदेवी पत्नि श्री खींयापुरी, उम्र–व्यस्क,जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
20. ढगलपुरी पुत्र श्री नेनापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
21. लाडु पत्नि श्री नेनापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
22. राजुपुरी पुत्र श्री किशनपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
23. महेन्द्रपुरी पुत्र किशनपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
24. बेबी पुत्री श्री किशनपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
25. रेखादेवी पुत्र श्री किशनपुरी, उम्र–व्यस्क जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
26. ओगडपुरी पुत्र भुरापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
27. सीतादेवी पत्नि श्री राजुपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
28. कमलादेवी पत्नि किशनपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
29. सम्पतपुरी पुत्र श्री नेनापुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–भेरूसागर रायपुर
30. तुलछागिरी पुत्र श्री मोहनपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति–गोस्वामी, निवासी–लवाचा
31. लाबचन्द पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–व्यस्क, जाति खाती निवासी लवाचा
32. चम्पालाल पुत्र श्री मांगीलाल, उम्र–व्यस्क, जाति खाती निवासी लवाचा
33. अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
34. लीला पत्नि मूलचन्द्र जाति जाट निवासी रायपुर
35. सुरेन्द्र कुमावत पुत्र सोहनलाल जाति कुमावत निवासी रायपुर
36. दिलीप पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी रायपुर
37. भंवरीदेवी पत्नि श्री लादुराम, उम्र–व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
38. प्रेमदेवी पत्नि श्री प्रभुराम, उम्र–व्यस्क, जाति माली, निवासी रायपुर तहसील रायपुर

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

39. गोपुलाल पुत्र श्री भोलाराम, उम्र–व्यस्क, जाति प्रजापत निवासी लवाचा
40. माली पुत्र श्री गुणेशपुरी उम्र–व्यस्क, जाति गोस्वामी, निवासी लवाचा
41. मांगीदेवी पत्नि श्री हीराराम, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
42. मोहनपुरी पुत्र श्री गुणेशपुरी, उम्र–व्यस्क, जाति गोस्वामी, निवासी लवाचा
43. लाल पुत्र श्री चौथा, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
44. अमराराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार, निवासी लवाचा
45. अशोक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
46. प्रभुराम पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
47. विनोद प्रजापति, पुत्र श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
48. सुगना देवी पत्नि श्री ओमप्रकाश, उम्र–व्यस्क, जाति कुम्हार निवासी लवाचा
49. जुगराज पुत्र श्री ढगलाराम, उम्र–वयस्क, जाति माली निवासी रायपुर
50. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 'व 188 राज. काश्त. अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवन्तसिंह सांखला अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादी फिरोज खान अधिवक्ता (प्रतिवादी संख्या 34,35,36 एवं 49 उपस्थित) एवं शेष अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

........×........ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर नीज........×........मुबलिक........×........बाबत्........×........ को अदा करे।

........×........फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×........ को जारी किया गया।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.10.2024 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	09	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00
मेहनताना वकील	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
मुतफरिक	–	11	00
मीजान		22	00

मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00
स्टाम्प हाजरी	–		
मेहनताना वकील पर	–		
खर्चा गवाहान	–		
फीस कमिश्नर	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
मुतफरिक	–	1	00
मीजान		05	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर